न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बरेली
परिवाद संख्या–116/2023
CNRNo.UPBR-01-008664-2023
मुकुट लाल बनाम हरीश कुमार गंगवार

थाना–बारादरी, जिला–बरेली

03.02.2024

पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को विपक्षीगण को तलब किये जाने के बिन्दु पर दिनांक 31.01.204 को सुना जा चुका है।

उपरोक्त परिवाद मूल रूप से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 04.07.2023 के द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही अग्रसारित की गयी।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र/परिवाद, परिवादी मुकुटलाल ने विपक्षी हरीश कुमार गंगवार के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसमें कथन किया है कि परिवादी अटा कायस्थान थाना सी0बी0गंज जिला बरेली का मूल निवासी है और अनुसूचित जाति से है। परिवादी वर्तमान में रूहेलखण्ड डिपो बरेली में संविदा कर्मी के रूप में चालक के पद पर कार्यरत है तथा बस संख्या यू0पी0–25 बी टी/2629 बरेली से दिल्ली ले जाता है। इसी तरह से विपक्षी हरीश कुमार गंगवार पुत्र सत्यपाल निवासी मूल ग्राम खाई खेड़ा थाना भुता बरेली रूहेलखण्ड डिपो बरेली में चालक के पद पर नियमित कर्मचारी है, जो कि बरेली से मुरादाबाद रोडवेज बस चलाता है। इस तरह से एक ही विभाग में नौकरी करने के कारण दोनों ही एक दूसरे को भली भॉति जानते व पहचानते है तथा विपक्षी, प्रार्थी से जातिगत द्वेष भावना रखता है। दिनांक 20.02.2023 को परिवादी रोडवेज बस सं0–यू0पी0–25 बी टी/2629 में यात्री लेकर बरेली से दिल्ली जा रहा था तथा विपक्षी भी बस सं0–यू0पी0–25 ए टी/5062 बरेली से मुरादाबाद सवारी लेकर जा रहा था। परिवादी की बस विपक्षी की बस से आगे चल रही थी जैसे ही विपक्षी झुमका चौराहा के निकट से गुजर रहा था तभी विपक्षी ने परिवादी को ओवरटेक करने हेतु पास हेतु इंडीकेशन दिया, परन्तु परिवादी की बस के आगे गन्ने से लदी हुई ट्राली चल रही थी और अनेको वाहन आगे थे इस कारण परिवादी, विपक्षी को पास नहीं दे सका, इसी बात की रंजिश मानते हुए दिनांक 21.02.2023 को समय करीब 9.30 बजे ए0एम0 पर परिवादी उक्त रोडवेज बस संख्या–यू0पी0–25 बी टी/2629 को रोडवेज वर्कशाप पर खड़ी करके सैटेलाइट की ओर पैदल जा रहा था जैसे ही परिवादी रोडवेज वर्कशाप से करीब 60–70 मीटर दूरी पर पहुॅचा था तभी विपक्षी उपरोक्त हरीश कुमार गंगवार ने गलत दिशा से आकर जान से मारने की नियत से अपनी मोटरसाईकिल परिवादी के ऊपर चढ़ा दी और बोला साले चमट्टे दलित नीच कल तूने हाईवे पर मुझे पास नहीं दिया आज तुझे जिन्दा नहीं छोडूॅगा और विभाग में नौकरी करना दुश्वार कर दूॅगा, जब परिवादी द्वारा गाली देने का विरोध किया गया तभी विपक्षी ने मॉ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए परिवादी की कनपटी पर दो–तीन जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि मादरचोद चमट्टे दलित गंवार हरिजन मेरी बराबरी करेगा और धमकी देते हुए कहा कि अगर पुलिस में व विभाग में कोई शिकायत की तो जान से मार दूॅगा तथा वमुश्किल कुछ राहगीरों ने परिवादी को बचाया। परिवादी शारीरिक रूप से पतला दुबला व छोटे कद का है, जबकि विपक्षी की कद काठी लम्बी चौड़ी है और हष्ट पुष्ट है। इस घटना में परिवादी के शरीर पर कई जगह खुली व गुम चोटें आयी है और वांये कान पर चोट आने से कम सुनाई देने लगा है। परिवादी द्वारा इस घटना की सूचना लिखित में थाना बारादरी एवं विभाग को दी गयी, परन्तु विपक्षी के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी तब परिवादी ने स्वयं जिला सरकारी अस्पताल बरेली पर उपस्थित होकर दिनांक 21.02.2023 को अपनी चोटों का मेडिकल मुआयना कराया । परिवादी को विपक्षी द्वारा एक सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया है जो कि घोर निन्दनीय अपराध है और समाज के विरूद्ध है तथा विपक्षी अनुसूचित जाति/जनजाति का नहीं है। परिवादी एक गरीब व्यक्ति है और अपने परिवार का मुख्य संचालक है।

परिवाद के समर्थन में धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परिवादी ने स्वयं को परीक्षित कराया गया है तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत जांच के अधीन पी0डब्लू0–1 रामबहादुर, पी0डब्लू0–2 राकेश कुमार एवं पी0डब्लू0–3 प्रभात कुमार को परीक्षित कराया गया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने मेडिकल रिपोर्ट दिनांकित 21.02.2023 की छाया प्रति, डाक रसीदों

की छाया प्रतियां, जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, डी0एल0 की छाया प्रति, विभागीय परिचय पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, थानाध्यक्ष बारादरी बरेली को प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.02.2023 की छाया प्रति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को प्रार्थना पत्र दिनांकित 02.03.2023 की छाया प्रति, पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली को प्रार्थना पत्र दिनांकित 02.03.2023 की छाया प्रति, आर0एम0/ए0आर0एम0 रूहेलखण्ड डिपो बरेली को प्रार्थना पत्र दिनांकित 21.02.2023 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में परिवाद के कथनों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि मैं रूहेलखण्ड डिपो बरेली में संविदा पर बस चालक हूॅ तथा मेरे ही विभाग का हरीश कुमार गंगवार चालक के पद पर नियमित कर्मचारी है, जो बरेली मुरादाबाद बस चलाता है और मैं बस संख्या यू0पी0–25 बी टी–2629 को बरेली से दिल्ली लेकर जाता है। एक ही विभाग में नौकरी करने के कारण हम दोनों लोग एक दूसरे को भली–भॉति जानते व पहचानते है। मैं अनुसूचित जाति की जाटव जाति का व्यक्ति हूॅ, इस कारण विपक्षी मुझसे जातिगत द्वेष भावना रखता है। दिनांक 20.02.2023 को मैं रोडवेज की बस संख्या यू0पी0–25 बी टी–2629 में यात्री लेकर बरेली से दिल्ली जा रहा था और विपक्षी भी बस संख्या यू0पी0–25 ए टी–5062 बरेली से मुरादाबाद सवारी लेकर जा रहा था। मेरी बस विपक्षी की बस से आगे चल रही थी और जैसे ही विपक्षी बरेली में झुमका चौराहा के निकट से गुजर रहा था तभी विपक्षी ने मेरी बस को ओवरटेक करने को पास हेतु इंडीकेशन दिया, परन्तु मेरी बस के आगे गन्ने से लदी ट्राली चल रही थी और अनेको वाहन थे इस कारण मैं विपक्षी को पास नहीं दे सका, इसी बात से रंजिश मानते हुए दिनांक 21.02.2023 को समय करीब 9.30 बजे प्रातः अपनी बस संख्या यू0पी0–25 बी टी–2629 को रोडवेज वर्कशाप में खड़ी करके सैटेलाईट की ओर पैदल जा रहा था और वर्कशाप से 60–70 मीटर दूर ही गया था कि विपक्षी ने गलत दिशा में आकर मुझे जान से मारने की नियत से अपनी मोटरसाईकिल मेरे ऊपर चढ़ा दी और बोला कि साले नीच चमट्टे तूने हाईवे पर मुझे पास नहीं दिया आज तुझे जिन्दा नहीं छोडूॅगा, विभाग में नौकरी करना दुश्वार कर दूॅगा। मैंने गालियों का विरोध किया तो मुझे थप्पड़ों से मारा व कहा कि मादरचोद दलित, गंवार, चमट्टा तू हमारी बराबरी करेगा। विपक्षी मेरी अपेक्षा अधिक हष्टपुष्ट है, मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूॅ, मुझे घटना में कई जगह चोटें आयी तथा मारने की वजह से मुझे कम सुनाई देता है। मैंने विभाग में सूचना दी तथा थाना बारादरी में भी रिपोर्ट हेतु लिखा, कहीं कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने स्वयं अपनी चोटों का मेडिकल दिनांक 21.02.2023 को कराया। मैंने पुलिस के उच्चाधिकारियों को भी लिखा, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। मौके पर उपस्थित राहगीरों ने मुझे बचाया था अन्यथा विपक्षी मुझे जान से मार देता। परिवादी के साक्षीगण पी0डब्लू0–1 रामबहादुर, पी0डब्लू0–2 राकेश कुमार एवं पी0डब्लू0–3 प्रभात कुमार ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में परिवादी के कथनों का समर्थन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 व धारा 202 दं0प्र0सं0 व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर विपक्षी हरीश कुमार गंगवार के विरूद्ध प्रथमदृष्टया अपराध धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1) द, ध, 3(2)Va एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत बनता प्रतीत होता है। अतः विपक्षी हरीश कुमार गंगवार उपरोक्त अपराध में विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **हरीश कुमार गंगवार** को धारा **323, 504, 506** भा0दं0सं0 व धारा **3(1)द, ध, 3(2)Va** एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के तहत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अंदर 7 दिन करे तथा सूची गवाहान प्रस्तुत करे। बाद प्रस्तुत होने सूची गवाहान अभियुक्त के विरूद्ध सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनांक **05.03.2024** को पेश हो।

(अंगद प्रसाद II)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
बरेली
जे0ओ0कोड यू0पी0–5941